दिशा-निर्देश | पुलिस अधीक्षक ने श्रीमद्भावगत कथा आयोजन और बरही के मेला स्थल का किया निरीक्षण

कथा स्थल पहुंचे एसपी, व्यवस्था का लिया जायजा

नवभारत, कटनी। शहर के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 31 जनवरी से प्रारंभ होने वाली सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा कथा स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा और आयोजकों, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कथा में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, इसलिए किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, इसके लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने पार्किंग व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, मेडिकल सुविधा, आपातकालीन सेवाओं और सुरक्षा इंतजामों की भी विस्तार से समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि रखते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाए और लगातार निगरानी रखी जाए। गौरतलब है कि सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा 31 जनवरी 2026 से 6 जनवरी 2026 तक वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश महाराज के मुखारविंद से आयोजित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया, थाना प्रभारी यातायात राहुल पांडे, थाना प्रभारी रंगनाथ नगर अरुण पाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और रंगनाथ मंदिर समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

किसी को परेशानी न हो

पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने बरही थाना क्षेत्र के विजयनाथ धाम बरही में मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होने विजयनाथ धाम बरही में बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक आयोजित होने वाले मेले की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने मेले परिसर, श्रद्धालुओं की आवाजाही के मार्ग, पार्किंग व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, महिला सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, आपातकालीन व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। मेले के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, लगातार पेट्रोलिंग, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी और तत्काल कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पुलिस बल को पूरी तरह सतर्क रहकर ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं से कहा गया है कि किसी भी प्रकार की समस्या पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 112 और पुलिस को सूचना दें।

आबकारी टीम पर हमला करने वाले तीन गिरफ्तार

माधवनगर थाना क्षेत्र के बंगला लाइन में हुआ था हमला

नवभारत, कटनी। माधवनगर थाना अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा बंगला लाइन में अवैध शराब के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के दौरान बदमाशों द्वारा हमला किए जाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 22 जनवरी की शाम लगभग सात बजे जिला आबकारी विभाग टीम के एसआई निरीक्षक केशव प्रसाद उइके के नेतृत्व में बंगला लाईन में अवैध शराब पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, तभी अचानक स्थानीय बंगला लाईन निवासी युवकों व्दारा पत्थर, ईटों से आबकारी टीम पर हमला कर दिया गया था। जिससे आबकारी टीम के तीन वाहन बुरी तरह से छतिग्रस्त हो गए और पथराव से आबकारी टीम बाल बाल बच गई थी। आबकारी विभाग के एसआई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में बंगला लाइन निवासी आकाश उर्फ राका वंशकार, शाहिल उर्फ गोला वंशकार, बादल वंशकार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को पकड़ने में माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे, एएसआई राजेश बागरी, प्रधान आरक्षक श्रीकान्त सेन, आरक्षक लोकेन्द्र, उमाकांत, राकेश साहू, नवीन शुक्ला, संजय सिंह, गौरव गिरी की भूमिका रही है। पूरी कार्रवाई एसपी के निर्देशन, एएसपी और सीएसपी के के मार्गदर्शन में की गई है।

एक नजर में

राशन में हेराफेरी करने पर सेल्समेन पर एफआईआर

नवभारत, कटनी। ढीमरखेड़ा विकासखंड के शासकीय उचित मूल्य दुकान बरेली रामपुर दुकान के विक्रेता उमेश उर्फ मंदा शर्मा द्वारा 14 लाख 83 हजार रुपए से अधिक के सरकारी राशन के गबन के मामले में कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ढीमरखेड़ा द्वारा विक्रेता के विरूद्ध ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शासकीय उचित मूल्य दुकान बरेली रामपुर के विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के संबंध में कलेक्ट्रेट में शिकायत प्राप्त हुई। जिस पर कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। सहकारिता निरीक्षक नैना मेहरा, तहसीलदार और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की टीम गठित कर दुकान के जांच के आदेश दिए। जांच दल ने जब मौके पर जाकर दुकान की जांच की तब विक्रेता उमेश उर्फ मंदा शर्मा मौके उपस्थित नहीं मिले। मौके पर उपस्थित दुकान से संलग्न हितग्राही सरोज दुबे, अहिल्या बादी, रामचंद्र आदिवासी, सरिता बाई, उपेन्द्र सिंह, मुन्नालाल बादी, नारायण तिवारी और मंजूलाल से पूछताछ की गई, तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। आरोपी विक्रेता उमेश उर्फ मंदा शर्मा घर-घर जाकर पीओएस मशीन पर ग्रामीणों के अंगूठे तो लगवा लेता था, लेकिन उन्हें राशन नहीं देता था। दुकान भी नियमित रूप से नहीं खोली जाती थी और खाद्यान्न वितरण भी समय पर नहीं किया जाता था। संयुक्त जांच दल द्वारा जब दुकान के स्टॉक का मिलान एईपीडीएस पोर्टल और पीओएस मशीन के अनुसार की गई, तो काफी अंतर पाया गया। मौके पर गेहूं, चावल और शक्कर पूरी तरह नदारद मिले। वहीं नमक केवल 3 क्विंटल पाया गया। जबकि गेहूं 93.36 क्विंटल, चावल 179.76 क्विंटल, नमक 13.13 क्विंटल और शक्कर 0.60 क्विंटल होना था। विक्रेता द्वारा 7 लाख 18 हजार 700 रूपए के गेहूं, 7 लाख 52 हजार 466 रूपए के चावल, 10 हजार 130 रूपए के नमक और 1800 रूपए के शक्कर को मिलाकर 14 लाख 83 हजार 96 रूपए के राशन की हेराफेरी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।

सड़कों से हटाए बेसहारा मवेशी, भेजे गए कांजी हाऊस

नवभारत, कटनी। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा सार्वजनिक मार्गों पर विचरण कर रहे घुमंतू मवेशियों को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम शहर के प्रमुख मार्गों, चैराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अभियान चलाकर 8 मवेशियों को पकड़कर कॉजी हाउस भेजा गया। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी ने बताया कि अभियान के दौरान थाना कोतवाली तिराहा, सुभाष चौक, मुड़वारा रेलवे स्टेशन के समीप चांडक चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर तिराहा, विश्राम बाबा मोड़, दुगाड़ी नाला के समीप रोड में बैठे आवारा मवेशी सहित नगर के अन्य स्थलों में विचरण कर रहे मवेशियों को पकड़कर काउ केचर वाहन के माध्यम से अमीरगंज स्थित गौशाला भेजने का कार्य किया गया। नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई से सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका में कमी आई है। आवागमन अधिक सुगम हुआ है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगा। नगर निगम द्वारा पशुपालकों को अपने मवेशियों को खुले में नहीं छोड़ने की समझाइश दी जा रही है। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है।

मतदाता सूची से कांग्रेस पार्षद का नाम कटवाने लगाई गई फर्जी आपत्ति

कांग्रेस नेताओं ने की जांच कर पारदर्शी कार्रवाई की मांग

नवभारत, कटनी। मुड़वारा विधानसभा की मतदाता सूची से फर्जी और कूट रचित आवेदन देकर अवैधानिक रूप से नाम काटने की प्रकिया में एक और नया मोड़ आ गया है, जिसके अनुसार ईश्वरीपुरा वार्ड के मतदान केन्द्र से पार्षद अजरा शाहीन और उसके परिवार सहित 300 से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटने का आवेदन किसी प्रतीक बर्मन और अन्यों के नाम से दिया गया है। यह आवेदन कन्ट्रोल रुम के माध्यम से वार्ड के बीएलओ तक पहुंचे हैं। नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद व जिला शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिथलेश जैन एडवोकेट ने मतदाता सूची से नाम कटाने की फर्जी कार्रवाई उजागर करने और इस संबंध में साथियों सहित जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देने की बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। कांग्रेस नेता मिथलेश जैन ने बताया कि जानकारी मिली है कि अनुविभागीय अधिकारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देश पर बीएलओ को कहा गया है कि उन्हें नाम कटवाने के दिए गए फार्म, बिना कार्रवाई के वापस कर दिए जाएं। ईश्वरीपुरा वार्ड से संबंधित ऐसे फार्म वापस लेने के लिए तहसीलदार और सुपरवाईजार पुरवार पुत्री शाला पहुंचे। जिसके बाद मिथलेश जैन अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचे। उन्होंने मांग की कि सबसे पहले आपत्तिकर्ता प्रतीक बर्मन को बुलाया जाए। उन्होने कहा कि प्रतीक बर्मन के अनुसार वह पिछले 6 महीनों से बाम्बे में नौकरी कर रहा था, एक दिन पहले ही वह ग्राम पहाडी पहुंचा है। उसके द्वारा ईश्वरीपुरा वार्ड की पार्षद अजरा शाहीन का वह अन्य मतदाताओं का नाम काटने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है। मिथलेश जैन द्वारा यह भी मांग की गई है कि बीएलओ को आवेदन प्राप्त हुए हैं. ऐसी स्थिति में पंचनामा बनाकर जांच की जाना चाहिए, ताकि सत्यता सामने आ सके और झूठा आवेदन देने वालों के खिलाफ के एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। कांग्रेस नेता ने कलेक्टर से मांग की है कि समय सीमा के अंदर पूरे विधानसभा में दिए गए आपत्ति आवेदनों के आपत्तिकर्ताओं को बुलाकर उनसे पूछताछ की जाए।

राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

घंटाघर से जगन्नाथ चौक तक चौड़ी होगी सड़क, हटाए गए चिन्हित हिस्से

नवभारत, कटनी। शहर के प्रमुख एवं व्यस्ततम मार्ग जगन्नाथ चौक से घंटाघर तक मार्ग चैड़ीकरण के लिए राजस्व और नगर निगम प्रशासन द्वारा की जा रही संयुक्त कार्रवाई के तहत शुक्रवार को भी तीन चिन्हित हस्सों जेसीबी से तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग नगर निगम और अतिक्रमण शाखा की टीम मौजूद रही। नगर निगम के सहायक यंत्री सुनील सिंह ने बताया कि निगम प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य जगन्नाथ चौक से घंटाघर मार्ग से आवागमन को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। जिसके तहत चिन्हित शेष संरचनाओं को हटाने के लिए लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। मार्ग चौड़ी कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र में शेष रोड, नाली, पोल शिफ्टिंग के कार्य कराए जाएंगे। जिससे नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगी और आवागमन में लोगों को सुविधा मिलेगी। अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह ने बताया कि स्थल के चिन्हित सभी संरचनाओं को मार्ग से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने क्षेत्रीय लोगों से कार्रवाई में स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए कहा है। क्षेत्रीय लोग कार्रवाई में सहयोग भी कर रहे हैं। नगर विकास को दृष्टिगत रखते हुए शनिवार को सुबह से चिन्हित अस्थाई संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के अमले के साथ ही नगर निगम के सहायक यंत्री सुनील सिंह, अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह सहित अतिक्रमण अमले की मौजूदगी रही।

अब हर मंगलवार को महापौर भी करेंगी जनसुनवाई

महापौर ने शुरू किया नवाचार, शिकायतों का होगा निराकरण

नवभारत, कटनी। शहर वासियों की समस्याओं के तत्काल और पारदर्शी निराकरण के उद्देश्य से महापौर द्वारा नवाचार किया जा रहा है। महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी के नेतृत्व में अब आगामी प्रति मंगलवार नगर निगम कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। जिससे शहरवासियों को अपनी बात सीधे जनप्रतिनिधियों औरअधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। महापौर की जनसुनवाई के दौरान शहरवासी नगर निगम की शासकीय योजनाओं और सेवाओं सहित अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएं, जैसे स्वच्छता, जलापूर्ति, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, अतिक्रमण, संबंधी शिकायतें सहित नगर निगम से अन्य समस्याएं सीधे प्रस्तुत कर सकेंगे। इस संबंध में उपायुक्त शैलेष गुप्ता ने बताया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का पंजीयन कर संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। शिकायतों के निराकरण की लगातार समीक्षा भी की जाएगी। महापौर ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य सिर्फ समस्याएं सुनना ही नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत गंभीरता से निराकरण किया जाएगा।

पंचायत भवन निर्माण में की जा रही अनियमितता

नवभारत, उमरियापान। जिले के ढीमरखेड़ा जनपद की ग्राम पंचायत पौनिया में निर्माणाधीन पंचायत भवन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 37.50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग और तकनीकी मानकों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कागज़ों में दिखाई गई लागत और ज़मीनी हकीकत में अंतर है। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण में सीमेंट की मात्रा कम, रेत में मिट्टी की मिलावट, कमजोर ईंटों का इस्तेमाल और बिना मानक के प्लास्टर कार्य किया जा रहा है। कार्य भी धीमी गति से किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्वीकृत नक्शे और तकनीकी लेआउट का पालन नहीं किया जा रहा। उपयंत्री-ठेकेदार के मिलीभगत की चर्चा भी हो रही है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है।

28 पुलिस कर्मी इधर से उधर, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हुआ फेरबदल

पुलिस विभाग में किए गए पुलिस कर्मियों के तबादले

नवभारत, कटनी। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ 28 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न आरक्षित केंद्र, पुलिस चौकियों और थानों में पदस्थ कर्मियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। तबादला आदेश के तहत आरक्षित केंद्र कटनी में पदस्थ कई प्रधान आरक्षक, आरक्षक और महिला आरक्षक को कोतवाली, यातायात थाना, माधवनगर, बरही, बहोरीबंद, स्लीमनाबाद सहित थानों, पुलिस चौकियों में पदस्थ किया गया है। जानकारी के अनुसार सूबेदार सोनम उईके रक्षित केन्द्र से थाना यातायात, एएसआई सतीश भगत रक्षित केन्द्र से चौकी झिंझरी, प्रधान आरक्षक रामनरेश शुक्ला रक्षित केन्द्र से रंगनाथ नगर, प्रधान आरक्षक अजीत मिश्रा रक्षित केन्द्र से थाना कुठला तबादला किया गया। इसी प्रकार प्रधान आरक्षक चंदा ठाकुर को रक्षित केंद्र से थाना विजयराघवगढ़, नीतीश डोंगरे को रक्षित केंद्र से थाना बड़वारा, प्रधान आरक्षक अखिलेश दीक्षित को रक्षित केंद्र से थाना विजयराघवगढ़, प्रधान आरक्षक अवधेश मिश्रा को रक्षित केंद्र से थाना बरही, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र सिंह उद्दे को रक्षित केंद्र से थाना बड़वारा, आरक्षक प्रेम शंकर पटेल को रक्षित केंद्र से थाना स्लीमनाबाद, प्रधान आरक्षक सुनीता सिंह को कंट्रोल रूम से थाना एनकेजे भेजा गया है। वहीं प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र यादव को पुलिस चौकी बिलहरी से रक्षित केंद्र, आरक्षक संतोष यादव को रक्षित केंद्र से रीठी, आरती साहू को यातायात, रजनी सिंह को थाना यातायात, नैना कश्यप को बरही, दीक्षा गर्ग को बरही, राजनंदनी मरावी को थाना यातायात, नैंसी गुप्ता को थाना यातायात, संदीप यादव को थाना बरही, प्रियंका शुक्ला को थाना कोतवाली, आदर्श मिश्रा को कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक आजाक से कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, विवेक कुमार को थाना बरही, अनमोल सिंह को थाना कोतवाली, उपेंद्र बहादुर को थाना कोतवाली, श्यामदास कोल को थाना विजयराघवगढ़, राजकुमार अहिरवार को थाना यातायात पदस्थ किया गया है।

निरीक्षण | नगर निगम उपायुक्त ने सीवरेज कार्य, अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई, अमीरगंज गौशाला का किया निरीक्षण

सीवरेज निर्माण के दौरान सुरक्षा का रखें ध्यान, लगाएं संकेतक, बनवाए वैकल्पिक व्यवस्था

नवभारत, कटनी। शहर में कराए जा रहे सीवरेज निर्माण कार्य और जगन्नाथ चौक से घंटाघर मार्ग पर चल रहे अतिक्रमण अभियान का शनिवार को नगर निगम उपायुक्त शैलेश गुप्ता द्वारा निरीक्षण किया गया। डीएफओ कार्यालय के सामने चल रहे सीवरेज कार्य निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने कहा कि सीवरेज निर्माण के दौरान शहरवासियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कार्यस्थल पर आवश्यक सुरक्षा उपायों, चेतावनी संकेतों और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान यह भी कहा कि सभी कार्य निर्धारित मानकों और समय-सीमा के अंतर्गत पूरा किए जाएं। उन्होने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। सीवरेज कार्य का निरीक्षण करने के बाद उपायुक्त जगन्नाथ चौक से घंटाघर मार्ग पर चल रहे अतिक्रमण अभियान के अंतर्गत कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए बचे चिन्हित निर्माणों को नियमानुसार हटाने के निर्देश दिए। अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह ने बताया कि स्थल पर रिहायशी क्षेत्रों की चिन्हित अतिरिक्त संरचनाओं को हटाने के लिए संबंधित मकान मालिकों द्वारा स्वयं से हटाए जा रहे हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कार्यस्थल की स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर विकास और जनहित से जुड़े इन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपयुक्त द्वारा अमीरगंज स्थित गौशाला का निरीक्षण कर पर्याप्त साफ सफाई, मवेशियों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा-पानी की व्यवस्था के निर्देश प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी को दिए। नगर निगम प्रशासन द्वारा शहरवासियों से कहा गया है कि निर्माण कार्य के दौरान नगर निगम का सहयोग करें। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री सुधीर मिश्रा, अतिक्रमण प्रभारी मानेंद्र सिंह, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

वित्तीय अनियमितता पर लेखापाल को किया गया निलंबित

नवभारत, कटनी। वित्तीय अनियमितता और पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने पर कलेक्टर आशीष तिवारी ने बहोरीबंद अस्पताल में पदस्थ तत्कालीन प्रभारी लेखापाल राहुल मिश्रा, सहायक ग्रेड-3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर को बीते मंगलवार को बहोरीबंद में आयोजित जनसुनवाई में मिली शिकायत पर कलेक्टर ने तत्काल जांच कराने के बाद यह कार्रवाई की है। बहोरीबंद में आयोजित जनसुनवाई में यह तथ्य सामने आया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाकल, बहोरीबंद से सेवानिवृत्त एएनएम श्रीमती सावित्री देवी वर्मा के पेंशन व जीपीएफ की राशि और अन्य स्वत्वों का भुगतान उनके खातों में नहीं मिल पाया था। कलेक्टर के निर्देश पर की गई जांच में पाया गया कि बहोरीबंद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के तत्कालीन प्रभारी लेखापाल राहुल मिश्रा द्वारा पदीय कर्तव्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जाकर मप्र सिविल सेवा नियम में वर्णित प्रावधानों के तहत वित्तीय अनियमितता पदीय दायित्वो के प्रति लापरवाही की गई है। कलेक्टर ने बहोरीबंद अस्पताल के तत्कालीन प्रभारी लेखापाल को निलंबित कर दिया गया है।

धर्मलोक हॉस्पिटल
A unit of Dharmlok Hospital Pvt. Ltd.
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED
दूरबीन से पित्त की पथरी की सर्जरी, दूरबीन से अपेंडिक्स सर्जरी, दूरबीन से ओपन पेट की सर्जरी, उन्नत तकनीक (स्टेपलर/लेटर) के फिस्टुला सर्जरी, स्तन सर्जरी, किडनी/ प्रोस्टेट/मूत्रालशय सर्जरी, मधुमेह पैर की देखभाल/सर्जरी, तीव्र और जीर्ण घाव प्रबंधन।
डॉ. राजेश बत्रा
एम.एस., एफ.एम.ए.एस., एफ.आई.ए.जी.ई.एस., एफ.ए.आई.एस.
जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन
डॉ. हर्षा बत्रा
एमडी (ओबीजी)
सोनीग्राफी डिप्लोमा
स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन विशेषज्ञ
सामान्य एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गठान, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, निःसंतानता, बच्चेदानी निकालना, सफेद पानी का इलाज, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी, बार-बार गर्भपात होना, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज/सिंड्रोम।
आयुष्मान कार्डधारी मरीजों का एवं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड धारी मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है।
ओपीडी सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
पता-आदर्श कालोनी रोड, कटनी (म.प्र.)
Ph. 07622-422390, 796084 Help line 24x7: 8305402024